



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा

अष्टम् सत्र

अंक-5

नवा रायपुर अटल नगर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. प्रश्नकाल (क्रमशः)

प्रश्नकाल में पुनः चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 05, 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 59 तारांकित एवं 92 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025,
- (2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उप धारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 तथा
- (3) श्री रामविचार नेताम, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखे।

6. पृच्छा

सर्वश्री सुनील सोनी, ब्यास कश्यप, इन्द्रशाह मण्डावी सदस्यों ने विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

- (1) डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग 149 "ब" बाईपास रोड निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

- (2) सर्वश्री प्रबोध मिंज, अजय चन्द्राकर, रिकेश सेन, सदस्य ने पी.एम. श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय रामचंद्रपुर को परीक्षा केन्द्र से वंचित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026

श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

8. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री सुनील कुमार सोनी
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्री ईश्वर साहू
4. श्री अटल श्रीवास्तव
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 03, बैकुण्ठपुर से निर्वाचित सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े द्वारा फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य याचिका समिति ने याचिका समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री ललित चन्द्राकर
2. श्री धरमलाल कौशिक

3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

12. मंत्री का वक्तव्य

दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या-08 (क्र.-54) के उत्तर के संबंध में

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-08 (क्र.-54) के उत्तर से संबंधित प्रपत्र- 'अ' के स्थान पर पृथकतः वितरित संशोधित प्रपत्र-'अ' के संबंध में वक्तव्य दिया ।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

13. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज ऐतिहासिक दिन है दशकों तक माओवादी संगठन से जुड़कर जंगल में रहे, परन्तु केन्द्र सरकार माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की विशेष रणनीति से तथा छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल मार्ग दर्शन में 120 पुनर्वासित नक्सली आज लोक तंत्र से जुड़ने छत्तीसगढ़ विधान सभा देखने आये हैं । इन 120 लोगों में नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व से आज तक की इन संगठनों में काम करने वाले 54 महिलाएं और 66 पुरुष हैं, भारत के संविधान को मानते हुए पुनः मुख्यधारा से जुड़ने वालों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं ।

उक्ताशय पर माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा द्वारा अपने विचार रखे गये।

14. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

15. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

16. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अटल श्रीवास्तव, पुन्नूलाल मोहले,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री अनुज शर्मा, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री कुंवर सिंह निषाद

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सर्वश्री चैतराम अटामी, राघवेन्द्र कुमार सिंह

17. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ।

18. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

19. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- श्रीमती ज्योत्सना महंत, लोकसभा सांसद अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

20. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, किरण देव,

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर एवं सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित अशासकीय संकल्पों को अगले अशासकीय दिवस में लिए जाने की घोषणा की)

(सायं 7.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 2026 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा